

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- खनिज साधन विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,भौमिकी एवं खनिकर्म,रायपुर छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

| क्र. | योजना/कार्यक्रम का नाम                                              | उद्देश्य/परिणाम                                                                                                                                                                                                                   | बजट प्रावधान<br>2026-27 | क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स                                                                                                                                                                             | टिप्पणियां |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | खनिज निधि से व्यय                                                   | खनिज निधि से प्राप्त आरक्षित राशि खनिज की खोज एवं अन्वेषण, संयुक्त प्रक्षेत्र में भागीदारी, खदान क्षेत्रों में अधोसंरचना उपलब्ध कराने, खनि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन एवं राज्य में परिवहन संरचना (नेटवर्क) का विकास करने हेतु | 6500000                 | खनिज निधि से प्राप्त आरक्षित राशि को छत्तीसगढ़ रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर को रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु आबंटित किया जाता है एवं अन्य अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों में उपयोग किया जाना है। |            |
| 2    | गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का पंचायतों एवं नगरीय निकायों को अंतरण | गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का पंचायतों एवं नगरीय निकायों को अंतरण                                                                                                                                                               | 2840000                 | त्रिस्तरीय पंचायतों, नगरीय निकायों को वितरण हेतु समस्त जिलाध्यक्षों/संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को वितरित किया जाता है।                                                                     |            |